



Website : www.sudaup.org, email : pmusuda@gmail.com

फोन : 0522-2286709, 2286710 फैक्स : 0522-2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ.प्र.

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001



पत्रांक:-3900 /01/29/HFA-12/2017-18

दिनांक:-09 जनवरी, 2018

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

विषय:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 एवं डी0पी0आर0/पी0एम0सी0 कन्सलटेन्टों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक फलैगशिप कार्यक्रम है, जिसकी नियमित समीक्षा भारत सरकार एवं शासन द्वारा की जा रही है। उक्त योजना में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सी0एस0एम0सी0 की विभिन्न बैठकों में अब तक कुल 263650 आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिसका विवरण पत्र साथ में संलग्न है। स्वीकृत आवासों की ग्राउण्डिंग का कार्य प्रारम्भ कराया जाना अति आवश्यक है। अभी तक मात्र 10972 आवासों की ही जियो टैगिंग की गयी है। इस सम्बन्ध में ग्राउण्डिंग में तेजी लाने के उद्देश्य से दिनांक 04.01.2018 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समस्त एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 एवं डी0पी0आर0/पी0एम0सी0 कन्सलटेन्टों की समीक्षा बैठक आहूत की गयी थी, जिसमें एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 कन्सलटेन्टों को मई, 2017 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का समस्त कार्य पूर्ण दिनांक 25 जनवरी, 2018 तक पूर्ण करने तथा डी0पी0आर0/पी0एम0सी0 कन्सलटेन्टों को समस्त स्वीकृत आवासों की ग्राउण्डिंग का कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक के कार्यवृत्त की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

कुछ जनपदों में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि डी0पी0आर0 स्वीकृति के पश्चात् जनपद/निकाय स्तर पर चयनित लाभार्थियों का लेखपालों/अन्य के माध्यम से पुनः सत्यापन कराया जा रहा है व सत्यापन पश्चात् काफी संख्या में डी0पी0आर0 के चयनित लाभार्थियों को अपात्रता के आधार पर काट दिया गया है। इसका मुख्य कारण पात्रता की शर्तों की पूर्ण जानकारी न होना भी हो सकता है। पात्रता के शर्तों के सम्बन्ध में सूडा के पत्रांक-2641/01/29/एचएफए-11/2017-18 दिनांक 06.10.2017 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। चूँकि प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर कन्सलटेन्ट्स द्वारा प्रमाणीकरण का कार्य किया गया है, जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है। यदि पुनः सत्यापन का कार्य कराया जाता है तो कन्सलटेन्ट के साथ संयुक्त रूप से टीम गठित कर कराया जाना उचित होगा। यदि संयुक्त सत्यापन के उपरान्त भी पात्र लाभार्थियों की संख्या में कमी आती है तो अपात्रों के स्थान पर नये पात्र लाभार्थियों का चयन कर लिया जाना आवश्यक है, जिससे डीपीआर के लाभार्थियों की संख्या में कोई परिवर्तन न हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई पात्र लाभार्थी छूट गये हो तो उसको भी सम्मिलित किया जाना योजना हित में आवश्यक है।

क्रमशः.....2 पर

योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 तथा डी0पी0आर0/पी0एम0सी0 के लिए चयनित कन्सलटेन्ट्स द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 का कार्य पूर्ण कराते हुए भारत सरकार द्वारा जनपद में स्वीकृत आवासों के सापेक्ष ग्राउण्डिंग का कार्य प्रारम्भ कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी, डूडा, उ0प्र0।
3. समस्त एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 एवं डी0पी0आर0/पी0एम0सी0 कन्सलटेन्ट्स को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सहा0 परियोजना अधिकारी/वेब मास्टर, सूडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

सूडा जनपदों में यह कार्य सञ्चालन में आया है कि डी0पी0आर0 स्वीकृत आवासों के लिए चयनित कन्सलटेन्ट्स द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में। प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के आदेश क्र. एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0/2017-18 दिनांक 08.10.2017 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। चूंकि प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर कन्सलटेन्ट्स द्वारा प्रमाणिकरण का कार्य किया गया है, जिसे अधिसूचनी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है। यदि पुनः सत्यापन का कार्य कराया जाता है तो कन्सलटेन्ट के साथ संयुक्त रूप से टीम गठित कर कराया जाना उचित होगा। यदि संयुक्त सत्यापन के उपरान्त भी पात्र लाभार्थियों की संख्या में कमी आती है तो अपात्रों के स्थान पर नये पात्र लाभार्थियों का चयन कर लिया जाना आवश्यक है, जिससे डी0पी0आर0 के लाभार्थियों की संख्या में कोई परिवर्तन न हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई पात्र लाभार्थी छूट गया हो तो उसको भी सम्मिलित किया जाना योजना हित में आवश्यक है।

दिनांक 04.01.2018 को निदेशक, सूडा की अध्यक्षता में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) योजनान्तर्गत चयनित एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 एवं डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्टों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति साथ में संलग्न है।

कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा दिनांक 09.12.2017 को समीक्षा बैठक की गयी थी, जिसमें कन्सलटेन्टों द्वारा किये जा रहे कार्यों पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी थी तथा समस्त एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0 कन्सलटेन्टों को प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर, 2017 तक प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे।

हाऊसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन:-

1. मै0 स्टेसलिट सिस्टम्स लि0:-मै0 स्टेसलिट सिस्टम्स लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको चार क्लस्टर (अलीगढ़, मिर्जापुर, फैजाबाद, कानपुर,) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 48820 आवासों की डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कुल आवंटित 133 नगर निकायों में से 104 नगर निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 29 नगर निकायों में कार्य प्रगति पर है। एम0आई0एस0 एन्ट्री के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अब तक 35351 की एन्ट्री की जा चुकी है तथा शेष 13429 की एन्ट्री की जानी है। अमान्य आधार के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 5224 अमान्य आधार लम्बित है, जिन्हें सही किया जाना है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (आवास विस्तार) के बारे में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 104 नगर निकायों में प्रमाणीकरण पश्चात् कुल 19782 लाभार्थी पात्र पाये गये। इस पर क्लस्टरवार सूची सम्बन्धित डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को तत्काल उपलब्ध कराते हुए सूडा मुख्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 20 जनवरी, 2018 तक पूर्ण कराये।

2. मै0 विजन ई.आई.एस. कन्सलटिंग प्रा0लि0:-मै0 विजन ई.आई.एस. कन्सलटिंग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको तीन क्लस्टर (इलाहाबाद, झाँसी, सहारनपुर) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 39679 आवासों की डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कुल आवंटित 89 नगर निकायों में से 33 नगर निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 56 नगर निकायों में कार्य प्रगति पर है। एम0आई0एस0 एन्ट्री के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अब तक 21596 की एन्ट्री की जा चुकी है तथा शेष 18083 की एन्ट्री की जानी है। अमान्य आधार के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 161 अमान्य आधार लम्बित है, जिन्हें सही किया जाना है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (आवास विस्तार) के बारे में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 33 नगर निकायों में प्रमाणीकरण पश्चात् कुल 11000 लाभार्थी पात्र पाये गये, जिसमें से 3000 का डाटा डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को हस्तगत किया जा चुका है। इस पर क्लस्टरवार सूची सम्बन्धित डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को तत्काल उपलब्ध कराते हुए सूडा मुख्यालय को अवगत

जारी
9/1/18

कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 20 जनवरी, 2018 तक पूर्ण करायें।

3. **मै० रुद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०**—मै० रुद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज प्रा०लि० के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको तीन क्लस्टर (चित्रकूट, मेरठ, मुरादाबाद) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 50675 आवासों की डी०पी०आर० भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कुल आवंटित 128 नगर निकायों में से 116 नगर निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 12 नगर निकायों में कार्य प्रगति पर है। एम०आई०एस० एन्ट्री के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अब तक 27609 की एन्ट्री की जा चुकी है तथा शेष 23066 की एन्ट्री की जानी है। अमान्य आधार के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 1034 अमान्य आधार लम्बित है, जिन्हें सही किया जाना है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (आवास विस्तार) के बारे में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि दो दिवस के अन्दर सही संख्या सूझा मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जायेगी। इस पर लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (आवास विस्तार) का डाटा चेक कर अपर निदेशक, सूझा व कार्यक्रम अधिकारी, सूझा को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 20 जनवरी, 2018 तक पूर्ण करायें।
4. **मै० सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया प्रा०लि०**—मै० सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया प्रा०लि० के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको चार क्लस्टर (आजमगढ़, बरेली, बस्ती, देवीपाटन) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 37873 आवासों की डी०पी०आर० भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कुल आवंटित 119 नगर निकायों में से 73 नगर निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 46 नगर निकायों में कार्य प्रगति पर है। एम०आई०एस० एन्ट्री के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अब तक 24737 की एन्ट्री की जा चुकी है तथा शेष 13136 की एन्ट्री की जानी है। अमान्य आधार के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 4442 अमान्य आधार लम्बित है, जिन्हें सही किया जाना है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (आवास विस्तार) के बारे में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 73 नगर निकायों में प्रमाणीकरण पश्चात् कुल 13502 लाभार्थी पात्र पाये गये, जिसे डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को उपलब्ध कराया जाना है। इस पर क्लस्टरवार सूची सम्बन्धित डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को तत्काल उपलब्ध कराते हुए सूझा मुख्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 25 जनवरी, 2018 तक पूर्ण करायें।
5. **मै० सरयू बाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डेवलपमेन्ट प्रा०लि०**—मै० सरयू बाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डेवलपमेन्ट प्रा०लि० के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको चार क्लस्टर (आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 86603 आवासों की डी०पी०आर० भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कुल आवंटित 166 नगर निकायों में से 102 नगर निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 64 नगर निकायों में कार्य प्रगति पर है। एम०आई०एस० एन्ट्री के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अब तक 58524 की एन्ट्री की जा चुकी है

तथा शेष 28079 की एन्ट्री की जानी है। अमान्य आधार के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 10499 अमान्य आधार लम्बित है, जिन्हें सही किया जाना है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (आवास विस्तार) के बारे में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 102 नगर निकायों में प्रमाणीकरण पश्चात् कुल 34676 लाभार्थी पात्र पाये गये, जिसे डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को उपलब्ध कराया जाना है। इस पर क्लस्टरवार सूची सम्बन्धित डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को तत्काल उपलब्ध कराते हुए सूडा मुख्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 25.01.2018 तक पूर्ण कराये।

डीपीआर / पीएमसी:-

1. मै0 क्रिएटिव कन्सोर्टियम:-मै0 क्रिएटिव कन्सोर्टियम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको तीन क्लस्टर (बस्ती, देवीपाटन, आजमगढ़) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 17194 आवासों की डीपीआर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अभी तक 522 आवासों की जियो टेगिंग की जा चुकी है। जबकि एम0आई0एम0 पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर आवासों के जियो टेगिंग की सूचना शून्य है। इस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा सर्वेयर्स की संख्या बढ़ाते हुए युद्धस्तर पर जियो टेगिंग कराते हुए ग्राउण्डिंग का कार्य प्रारम्भ कराने हेतु निर्देशित किया गया।
2. मै0 रुद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज प्रा0लि0:-मै0 रुद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज प्रा0लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको तीन क्लस्टर (मुरादाबाद, चित्रकूट, मेरठ) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 50675 आवासों की डीपीआर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अभी तक 395 आवासों की जियो टेगिंग की जा चुकी है। कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल ग्राउण्डिंग का कार्य प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. मै0 स्नो फाउण्टेन कन्सलटेन्ट्स:-मै0 स्नो फाउण्टेन कन्सलटेन्ट्स के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको तीन क्लस्टर (लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 74341 आवासों की डीपीआर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अभी तक 6720 आवासों की जियो टेगिंग की जा चुकी है। कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टेगिंग का कार्य तेजी से कराने हेतु निर्देशित किया गया।
4. मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया प्रा0लि0:-संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको तीन क्लस्टर (आगरा, गोरखपुर, वाराणसी) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक कुल 54828 आवासों की डीपीआर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अभी तक 1738 आवासों की जियो टेगिंग की जा चुकी है। कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टेगिंग का कार्य तेजी से कराने हेतु निर्देशित किया गया।
5. मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डेवलपमेन्ट प्रा0लि0:-संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको तीन क्लस्टर (अलीगढ़, बरेली, मिर्जापुर) आवंटित किये गये थे, जिसमें अब तक

कुल 47590 आवासों की डीपीआर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अभी तक 62 आवासों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। कार्य की अत्यन्त धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टैगिंग कराते हुए ग्राउण्डिंग का कार्य तेजी से कराने हेतु निर्देशित किया गया।

6. **मै0 स्पेस कम्बाइन:-**संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको एक क्लस्टर (सहारनपुर) आवंटित किया गया था, जिसमें अब तक कुल 10525 आवासों की डीपीआर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अभी तक 272 आवासों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टैगिंग कराते हुए ग्राउण्डिंग का कार्य तेजी से कराने हेतु निर्देशित किया गया।

7. **मै0 वॉप्कास लि0:-**संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको एक क्लस्टर (झॉसी) आवंटित किया गया था, जिसमें अब तक कुल 8497 आवासों की डीपीआर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष अभी तक 337 आवासों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। कार्य की अत्यन्त धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टैगिंग कराते हुए ग्राउण्डिंग का कार्य तेजी से कराने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देश दिये गये:-

(क) **हाऊसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन हेतु:-**

1. शत-प्रतिशत एम0आई0एस0 एन्ट्री का कार्य दी गयी डेड लाईन के अन्तर्गत पूर्ण कराये।
2. अमान्य आधार की दशा में डाटा चेक कर समयान्तर्गत सही कराये।
3. प्रतिदिन एम0आई0एस0 एन्ट्री व अमान्य आधार की प्रगति एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट श्री हितेश पाठक को उपलब्ध कराये तथा उक्त प्रगति प्रत्येक 03 दिन में एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाये।
4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (विस्तार) घटक से सम्बन्धित प्रमाणित डाटा डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को तत्काल उपलब्ध कराते हुए अवगत कराये।
5. नियमित समयान्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण करने हेतु संस्था का वर्क प्लान सूडा को उपलब्ध कराये।
6. बीएलसी(एन) घटक के प्रमाणीकरण का कार्य दिनांक 20 जनवरी, 2018 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लें। ए0एच0पी0 एवं सीएलएसएस घटक के लाभार्थियों की सूची जनवरी, 2018 तक उपलब्ध कराये।

(ख) **डीपीआर/पीएमसी हेतु:-**

1. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (विस्तार) घटक के अन्तर्गत प्लान ऑफ एक्शन कन्सलटेन्ट से प्राप्त लाभार्थियों की डीपीआर तैयार कराये।
2. स्वीकृत डीपीआर के लाभार्थियों का शत-प्रतिशत अटैचमेन्ट माह जनवरी तक पूर्ण कराये।
3. जियो टैगिंग के कार्य में तत्काल वांछित प्रगति लाई जाये।

4. कच्चे आवासों को चिन्हित कर बिना तोड़े चूना डालकर जियो टैगिंग करा दी जायें, जिसे कालान्तर में लाभार्थी द्वारा अन्यत्र अस्थायी आवास की व्यवस्था कर आवास निर्माण का कार्य कराया जायें।
5. प्रत्येक लाभार्थी की पासबुक जियो टैगिंग से पूर्व तैयार की जानी है।
6. जियो टैगिंग हेतु स्थानीय स्तर पर नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी का नाम, निवास का पता तथा मोबाइल नम्बर तत्काल सूडा में एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट श्री हितेश पाठक को उपलब्ध कराया जायें।
7. जनपदवार रखे गये समस्त नियुक्त किये गये स्टॉफ की संख्या व जियो टैगिंग हेतु उपलब्ध कराये गये मोबाइल फोन सिम कार्ड सहित का विवरण भी तत्काल उपलब्ध करायें।
8. सूडा से पांच अधिकारी/कर्मचारी को 18 क्लस्टर आवंटित किये जायें, जिससे वह प्रतिदिन जनपदों से सूचना प्राप्त कर मुख्यालय में अपडेट करें तथा जियो टैगिंग में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए समन्वयक का कार्य करेंगे।
9. डीपीआर/पीएमसी का व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जायें, जिसमें कन्सलटेन्ट्स के प्रतिनिधि, परियोजना अधिकारी शामिल होंगे। कन्सलटेन्ट द्वारा प्रतिदिन जनपदवार जियो टैगिंग की रिपोर्ट ग्रुप पर अपलोड करायी जायेगी, जिसे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जायें।
10. इस वर्ष लगभग एक लाख आवासों को पूर्ण किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार कर लें।
11. शासन/सूडा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जनपद का औचक निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

अन्त में सभी एचएफएपीओए व डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि समय सीमान्तर्गत कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

संख्या:-3884 /01/29/एचएफए-12/2017-18 दिनांक २९ जनवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त हाऊसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन कन्सलटेन्ट्स।
3. समस्त डी0पी0आर0/पी0एम0सी0 कन्सलटेन्ट्स।
4. एम0आई0एस0 स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी0, सूडा।
5. सहा0 परियोजना अधिकारी/वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक



■ 2286710, 2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग,

लखनऊ-226001

website-www.sudaup.org

पत्रांक:-2641/01/29/HFA-11/2017-18

दिनांक:-06 अक्टूबर, 2017

संशोधित

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया/विस्तार) घटक के अन्तर्गत पात्रता की शर्तों के संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सूडा के पत्रांक-2588/01/29/एचएफए-11/2017-18 दिनांक 04.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार घटक हेतु पात्रता की शर्तें प्रेषित की गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पत्र में वर्णित बिन्दु सं0-2 व 3 में भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन्स में हुए संशोधन को समाहित करते हुए संशोधित पात्रता की शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के लाभार्थी, जिनकी वार्षिक आय रु0 3.00 लाख है, पात्र होंगे।
2. (i) लाभार्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारतवर्ष में पक्का घर नहीं होना चाहिए। परिवार की परिभाषा-पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र/पुत्रियाँ शामिल होंगे।
(ii) भारत सरकार द्वारा परिवार की परिभाषा में किये गये संशोधन के अनुसार ऐसे व्यस्क पुरुष/स्त्री (वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना) जो उपार्जक/रोजी कमाता हो, को भी पृथक परिवार के रूप में माना जाएगा। उक्त व्यस्क पुरुष/स्त्री जिनके पास स्वयं का कोई पक्का मकान न हो, भी योजना में लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।
(iii) विवाहित दम्पति के प्रकरण में, पति-पत्नि दोनों में से किसी एक के नाम या दोनों एक साथ संयुक्त स्वामित्व में एक पक्का आवास हेतु पात्र होंगे, बशर्तें कि इस योजना की गाईड लाइन्स में निर्धारित आय के मानकों को पूर्ण करता हो।
3. लाभार्थी चार घटकों में से किसी एक घटक का लाभ प्राप्त किये जाने के लिए पात्र होगा।
4. नये आवास निर्माण हेतु पात्र लाभार्थी का वर्तमान मकान कच्चा/अर्द्धकच्चा आदि (नया निर्मित करने योग्य) होना चाहिए।

जारी
06/10/17

5. जिन लाभार्थियों के पास पक्का अथवा अर्द्ध पक्का आवास है, जिसका कारपेट एरिया 21 वर्गमी० तक है तथा यदि उसमें कमरा, रसोई, शौचालय, बाथरूम और किसी एक का कम्बिनेशन आदि में से किसी एक सुविधा नहीं है तो उसे भी आवास विस्तार हेतु निम्न शर्तों के साथ सम्मिलित किया जा सकता है:-

(अ) आवास विस्तार का अर्थ है कि विद्यमान आवास में न्यूनतम कारपेट एरिया 9.00 वर्ग मी० जोड़ा जायेगा, जिसमें एनबीसी० मानक के अनुसार एक लिविंग रूम या कमरे के साथ रसोईघर और/या बाथरूम और/या शौचालय बनाया जायेगा।

6. पात्र लाभार्थी के पास स्वामित्वाधीन भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में पर्याप्त दस्तावेज होने आवश्यक है।

जैसा कि आप अवगत ही हैं कि कन्सलटेन्ट द्वारा लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार घटक के अन्तर्गत प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का डोर टू डोर शत प्रतिशत सत्यापन कराया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अभिकरण के पत्र संख्या-2588/01/29/एचएफए-11/2017-18 दिनांक 04.10.2017 में उल्लिखित पात्रता की शर्तों के स्थान पर उपरोक्त वर्णित शर्तों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)

निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ को इस आशय के साथ कि उपरोक्तानुसार अपने स्तर से समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)

निदेशक

**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत एच0एफ0ए0पी0ओ0ए0
कन्सलटेन्ट्स द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण**

प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य:-

1. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत चारों घटकों में प्राप्त ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन पत्रों को एकत्र कर सूचीबद्ध करना तथा प्रमाणीकरण किया जाना।
2. कन्सलटेन्ट द्वारा प्रमाणीकरण पश्चात् सूची को निकाय के नोटिस बोर्ड पर चरपा कर आपत्तियां प्राप्त करना तथा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर पात्रों व अपात्रों की सूची पर अधिशासी अधिकारी से हस्ताक्षर कराया जाना।
3. डिमाण्ड सर्वे का 20 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाना, जिसमें लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के लाभार्थियों का शत-प्रतिशत प्रमाणीकरण करना व लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के लाभार्थियों से सहमति पत्र प्राप्त करना।
4. निकायों में कैम्प के माध्यम से भी डिमाण्ड सर्वे किया जाना।
5. लाभार्थियों के डाटा का एस0ई0सी0सी0 डाटा से मिलान कर प्रतिशत निकाला जाना।
6. भारत सरकार के पोर्टल पर दिनांक 31 मई, 2017 तक प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रमाणीकरण करते हुए शत-प्रतिशत निस्तारण किया जाना।
7. यदि एम0आई0एस0 एन्ट्री के बल्क अपलोडिंग के समय यदि कोई अमान्य आधार अपलोड हो गये हैं, तो उनको सही करना, जिससे डी0पी0आर0/पी0एम0सी0 कन्सलटेन्ट को परियोजना से अटैच करते समय कोई परेशानी न हो।
8. लाभार्थियों की डाटा एन्ट्री, डाटा प्रमाणीकरण, डाटा का संग्रहण किया जाना।
9. कार्य प्रणाली का सुचारु रूप से क्रियान्वयन किया जाना।
10. वित्तीय योजना का सही ढंग से पालन किया जाना।

प्लान ऑफ एक्शन सम्बन्धी कार्य:-

1. राजीव आवास योजनान्तर्गत पूर्व में बनाये गये स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन (SFCPOA) को इस योजनान्तर्गत लिया जाना। सरकारी भूमि पर बसे स्लम का हाउसहोल्ड सर्वे करना तथा टेनेबिलिटी के आधार पर प्लान ऑफ एक्शन में सम्मिलित किया जाना।
2. प्लान ऑफ एक्शन को जिला स्तरीय निगरानी समिति से अनुमोदित कराने से पूर्व लाभार्थियों के सहमति पत्र, स्वामित्व प्रपत्र, बैंक सम्बन्धी प्रपत्र तथा आधार सम्बन्धी प्रपत्र परियोजना अधिकारी, डूडा के समक्ष डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट को उपलब्ध कराना।
3. प्लान ऑफ एक्शन से पूर्व शत-प्रतिशत एम0आई0एस0 एन्ट्री किया जाना।
4. प्लान ऑफ एक्शन को जिला स्तरीय निगरानी समिति से अनुमोदन कराया जाना।
5. एस0एल0टी0सी0 एवं सी0एल0टी0सी0 के साथ समन्वय कर परियोजना को सुचारु रूप से क्रियान्वित किया जाना।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत डी0पी0आर0 / पी0एम0सी0 कन्सलटेन्ट्स द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण

डी0पी0आर0 सम्बन्धी कार्य:-

1. शत-प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन।
2. लोकेशन प्लान, स्थल का ले-आउट व सर्विस प्लान तैयार करना।
3. लाभार्थीवार डिटेल वर्किंग ड्राईंग तैयार करना।
4. डिटेल कॉस्ट एस्टीमेट बनाना।
5. वर्तमान व प्रस्तावित इन्फ्रास्ट्रक्चर का विवरण तैयार करना।

पी0एम0सी0 सम्बन्धी कार्य:-

1. पी0एम0सी0 लाभार्थी को गुणवत्तापूर्वक कार्य कराने में सहयोग करेगी, इसके साथ ही कर रहे कार्यों का अनुश्रवण करेगी।
2. पी0एम0सी0 द्वारा प्रत्येक आवास की लाभार्थीवार फाइलें तैयार करायी जायेगी।
3. पी0एम0सी0 कार्यों की गुणवत्ता के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
4. पी0एम0सी0 लाभार्थी से अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य के विभिन्न स्तरों जैसे-प्लिंथ लेवल, छत लेवल, फाइनल फिनिशिंग कार्य के आधार पर लाभार्थी को समय से वित्तीय सहायता कराने में सहयोग करेगी, जिससे कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जा सके तथा निर्माण के विभिन्न चरणों के फोटोग्राफ्स भी संकलित कर प्राप्त किये जायेंगे।
5. आवासों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट भी पी0एम0सी0 निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायी जायेगी।
6. जियो-टैगिंग का कार्य भी पी0एम0सी0 द्वारा किया जायेगा। ड्राईंग के अनुसार चूना डालकर कोर्डिनेट्स के आधार पर निशानदेही कर जियो टैगिंग की जायेगी। तदुपरान्त कोर्डिनेट्स के अनुसार नींव खुदाई का कार्य कराया जायेगा।
7. आवास हेतु भूमि के क्षेत्रफल की कोई बाध्यता नहीं है। यदि भूमि का क्षेत्रफल कम है तो ऐसी दशा में प्रथम तल पर भी निर्माण किया जा सकता है।
8. सभी आवासों का निर्माण स्थानीय बिल्डिंग बायलॉज तथा भूकम्परोधी विनियमों के अनुसार होना चाहिए। ग्राउण्डिंग का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कन्सलटेन्ट द्वारा वर्किंग ड्राईंग सम्बन्धित सर्विस ले-आउट्स तथा एस्टीमेट्स आदि, लाभार्थी के प्लॉट की वर्तमान स्थिति एवं आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी व आवास पूर्ण होने तक लाभार्थी को तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
9. पी0एम0सी0 द्वारा कार्य की प्रगति का कैशफ्लो चार्ट एवं बार चार्ट वास्तविक व शिड्यूल आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।
10. प्रोजेक्ट के अन्य अनुश्रवण सम्बन्धी समस्त कार्य पी0एम0सी0 द्वारा किया जायेगा।